राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक: प. 14(18)कार्मिक/क–2/96 पार्ट–।।। जयपुर, दिनांक: 29 जुलाई,2006

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिव ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित) ।
3. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में निःशक्तजनों को आरक्षण प्रदान करने के लिये राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.14(18)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 22.9.2000 द्वारा जारी किये गये है । अधिसूचना संख्या एफ. 14(18)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 10.10.2002 द्वारा रिक्तियों का तीन प्रतिशत आरक्षण निःशक्तजनों हेतु उन सभी पदों पर कर दिया गया जिन पर निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–32 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक निःशक्तता के लिये निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित किया गया है जिसका प्रत्येक में एक प्रतिशत निम्नलिखित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित है :–

(I) अंधता या निम्न (कम) दृष्टि,
(II) श्रवण शक्ति की क्षीणता,
(III) गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क सम्बन्धी फाजिल (सेरिब्रल पालसी)

इन नियमों में यह भी व्यवस्था है कि जहां राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का नाम भारत सरकार के पद से भिन्न है या राज्य सरकार का कोई भी पद भारत सरकार के किसी भी विभाग में विद्यमान नहीं है तो प्रकरण राज्य सरकार का समतुल्य पद परिलक्षित करने हेतु इन नियमों के नियम–5 के अधीन गठित समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा । जहां किसी नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि इन नियमों के अधीन आरक्षित पद के कृत्य या कतिपय कार्य निःशक्त व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों के किसी वर्ग विशेष द्वारा नहीं किये जा सकते हैं, वहां सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पद (पदों) को इन नियमों के नियम 4 में विहित आरक्षण के प्रवर्तन से छूट अनुज्ञात करने हेतु निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान को उपदर्शित करेगा ।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया जाता है कि वे चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करते समय रिक्तियों का 3 प्रतिशत आरक्षण निःशक्तजनों को नियमानुसार दिये जाने की पालना प्रभावपूर्ण तरीके से करें ताकि निःशक्त व्यक्तियों को उनको प्रदत्त सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके ।

जहां किसी पद के कृत्य या कतिपय कार्य निःशक्त व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों के किसी वर्ग विशेष द्वारा नहीं किये जा सकते हों, वहां नियमानुसार छूट प्राप्त किये बिना किसी पद पर नियुक्ति हेतु निःशक्त जनों को आरक्षण प्रदान नहीं करना सर्वथा अनुचित व नियमों के विपरीत है। अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारी कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें ।

13/06

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

कृ.प.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
2. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
3. रजिस्ट्रार, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
4. रजिस्ट्रार, महवीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।
5. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/उदयपुर ।
7. राजस्थान सरकार के समस्त बोर्ड एवं निगम ।

शासन उप सचिव